न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री विष्णु कुमार गोयल–I (R.A.S.)
मु0 सं0 108/2014

उनवान

मंदिर श्री परशुराम जी बाहैसियत पुजारी/नेक्सट फ्रेण्ड, नृसिंहपुरी जी, चैला फूलपुरी, निवासी परशुरामपुरी जी महाराज का मठ, ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. प्रभाती देवी पत्नी रामेश्वर, पुत्री किशनाराम, जाति रैगर, निवासी किशनगढ़ रेनवाल, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर, हाल निवासी रैगरों का मोहल्ला, ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. मनभरी देवी पत्नी नारायण लाल, पुत्री किशनाराम, जाति रैगर, निवासी ग्राम धौली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर, हाल निवासी रोड़ नं. 5, श्यामजी के मंदिर के पास, मुरलीपुरा, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती, कब्जा प्राप्ति एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः– 29.01.2019

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से है कि मंदिर श्री परशुराम जी का ग्राम उदयपुरिया तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में स्थित है जिसके कि पुर्व में संवत् 2007 के करीब पुजारी/महन्त फूलपुरी चैला रामपुरी थे इससे पूर्व उक्त मंदिर के पुजारी/महन्त फूलपुरी जी महाराज के गुरू रामपुरी जी रहे। महन्त फूलपुरी जी चैला रामपुरी जी की मुत्यु उपरान्त नृसिहंपुरी जी धार्मिक रीति रिवाजों अनुरूप मंदिर परशुरामजी के पुजारी/महन्त नियुक्त हुए। इस प्रकार वादी मंदिर श्री परशुरामजी की ओर से पुजारी/महन्त सम्पतियों की देखभाल करने एवं इस सम्बन्ध में प्रशासनिक व न्यायिक कार्यवाही करने का विधिक कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है। वाके ग्राम उदयपुरिया हाल तहसील चौमूँ, गत तहसील आमेर, जिला जयपुर में हाल खाता सं. 215 में वर्णित हाल खसरा नं. 381 रकबा 1.13 हैक्टेयर खसरा नं. 382 रकबा 0.10 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा 1.23 हैक्टेयर स्थित है जिसके गत खसरा नं. 59 थे। उक्त मद में वर्णित आराजियात ही उपरोक्त वाद पत्र में विवादग्रस्त है। वाद पत्र की मद सं0 2 में वर्णित विवादित आराजियात वादी मंदिर की कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि रही है इस बाबत संवत् 2007 से लेकर सवंत् 2023 की खतौनी बंदोबस्त अनुरूप वादी मंदिर उक्त वाद पत्र की मद सं0 2 में वर्णित विवादित आराजियात का अन्य आराजियात के साथ काबिज खातेदार काश्तकार राजस्व रिकॉर्ड अनुसार है। तत्पश्चात् संवत् 2023 के पश्चात् भी वाद पत्र की मद सं0 2 में वर्णित विवादित आराजियात की खातेदारी वादी मंदिर के नाम दर्ज रही है एवं खसरा गिरदावरियों संवत् 2028, 2018, 2034, 2037 अनुरूप वादी मंदिर ही उक्त विवादित आराजीयात् राजस्व रिकॉर्ड अनुरूप खुद काश्त रहा है इस प्रकार वाद पत्र की मद सं0 2 में वर्णित विवादित आराजियात वादी मंदिर मूर्ति की कब्जेकाश्त व स्वामित्व की आराजियात है। जिसका की स्वामित्व मंदिर परशुराम जी में विराजमान शाश्वत, नाबालिग, अवयस्क मूर्ति परशुरामजी में निहित है। वादी मंदिर की ओर से मंदिर परशुरामजी के पुर्व पुजारी/महन्त फूलपुरी चैला रामपुरी द्वारा उक्त वाद पत्र की मद सं0 2 में वर्णित विवादित आराजियात को काश्त करने हेतु बांटे पर समय समय पर भिन्न भिन्न व्यक्तियों की दी गई जिनमें से

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

संवत् 2023 के पश्चात् वाद पत्र की मद सं. 2 में वर्णित विवादित आराजियात को बांटे पर केवल मात्र काश्त करने हेतु प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के हकपूर्वा अधिकारी स्व0 किशनाराम रैगर पुत्र शहजा को दी गई ताकि किशनाराम रैगर द्वारा विवादित आराजियात जिसका कि स्वामी वादी मंदिर है पर काश्त कर उक्त काश्त के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली पैदावार के आधे हिस्से को वादी मंदिर को दिया जावे जिसका कि उपयोग उपभोग वादी मंदिर परशुरामजी में विराजमान शाश्वत, नाबालिग, अवयस्क मंदिर मूर्ति परशुरामजी सेवा पूजा, भोग इत्यादि की व्यवस्था हो सके, जबकि उक्त विवादित भूमि वादी मंदिर के स्वामित्व व खुदकाश्त की ही राजस्व रिकार्ड अनुरूप रही। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के हकपूर्वा अधिकारी अर्थात् पिता द्वारा विवादित आराजियात को बांटे पर प्राप्त करने के पश्चात् उक्त विवादित आराजियात पर कृषि कार्य के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली पैदावार के आधे हिस्से को वादी मंदिर को भोग, राग इत्यादि की व्यवस्था हेतु कुछ वर्षों तक तो दिया गया किन्तु तत्पश्चात् उक्त किशनाराम द्वारा वादी मंदिर को बावजूद तलब तकाजा करने के पश्चात् भी विवादित आराजियात से उत्पन्न होने वाली उपज का आधा हिस्सा वादी मंदिर को नहीं दिया गया तथा विवादित आराजियात पर काश्त कर उसका उपयोग उपभोग किया जाने लगा। इस प्रकार प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के हकपूर्वा अधिकारी किशनाराम की स्थिति वाद पत्र की मद सं. 2 में वर्णित आराजियात के संदर्भ में स्वामी की कभी नहीं रही है तथा वादी मंदिर विवादित आराजियात का काबिज खातेदार काश्तकार रहा है। प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के हकपूर्वा अधिकारी किशनाराम द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर वाद पत्र की मद सं. 2 में वर्णित विवादित आराजियात के राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन कर खातेदारी कॉलम में वादी मंदिर के स्थान पर स्वयं का नाम अंकित करवा लिया जिस बाबत मंदिर की कभी भी कोई भी स्वीकृति व सहमति किशनाराम द्वारा नहीं ली गई ना हीं इस बाबत् किशनाराम द्वारा वादी मंदिर को सूचित किया गया है तथा किशनाराम की मृत्यू पश्चात् उक्त भूमि के खातेदारी कॉलम में राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत से प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 द्वारा स्वयं का नाम अंकित करवा लिया गया जबकि उक्त भूमि के संदर्भ में संवत् 2062 से 2065 के राजस्व रिकॉर्ड अनुसार वादी मंदिर के रेफरेन्स का पेन्सिल नोट भी अंकित रहा है। इस प्रकार प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 एवं उनके हकपूर्वा अधिकारी अर्थात् पिता द्वारा वादी मंदिर की सहमति व जानकारी के बिना विवादित आराजियात के संदर्भ में राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर करवाये गये इन्द्राजात वादी मंदिर के हक अधिकारों के प्रति आरम्भ से ही शुन्य व अवैध है जिस आधार पर प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 को विवादित आराजियात के संदर्भ में कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं तथा कानूनन मंदिर मूर्ति की भूमि को कभी भी किसी भी व्यक्तिगत खातदेारी में अंकित नहीं किया जा सकता इस प्रकार प्रतिवादीगण सं.1 व 2 एवं स्व0 किशनाराम के नाम राजस्व कर्मचारियों द्वारा विधि विरूद्ध रूप से अंकित किये गये राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राजात विधि विरूद्ध होने से प्रारम्भ से ही शुन्य है जिनका कोई विधिक महत्व नहीं है। प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 दिनांक 24.09.2014 को अन्य असामाजिक किस्म के व्यक्तियों के साथ संगठित व एकराय होकर विवादित आराजियात पर आये तथा विवादित आराजियात पर फावडे, गैंती इत्यादि चलाकर विवादित भूमि को कृषि भूमि से गैर कृषि भूमि में परिवर्तित करने का प्रयत्न करने लगे एवं विवादित आराजियात पर निर्माण सामग्री डालकर पुख्ता निर्माण करने की नियत से नींव, खड्डे इत्यादि खोदने लगे जिसका विरोध वादी मंदिर के वर्तमान पुजारी/महन्त सेवायतन द्वारा अन्य ग्रामवासियों की मदद से किये जाने पर प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 उग्र हो गये तथा वादी मंदिर के पुजारी/महन्त सेवायतन से लडाई झगडा कर ऐलानियां धमकी देने लगे कि उक्त विवादित आराजियात से उनका कोई लेना देना नहीं है तथा वे विवादित आराजियात के राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर विवादित भूमि पर गैर कृषि कार्य कर विवादित आराजियात को छोटे भूखण्डों में परिवर्तित कर देंगे तथा अन्य दीगर व्यक्ति, संस्थाओं को विक्रय हस्तानान्तरित कर देंगे जिसमें यदि वादी ने कोई आपत्ति व उज्र किया तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 तथा उनके साथ आये अन्य व्यक्तियों द्वारा उक्त मद में वर्णितानुसार वादी मंदिर को ऐलानियां धमकी देने पर वादी मंदिर के वर्तमान सेवायतन पुजारी द्वारा विवादित आराजियात के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड बाबत छानबीन करने पर वादी मंदिर सेवायतन पुजारी को सर्वप्रथम राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

प्रति प्राप्त होने पर ज्ञात हुआ है कि प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 द्वारा राजस्व कर्मचारियों से
मिलीभगत कर विवादित आराजियात के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का नाम इन्द्राजात
करवा लिया गया है जिस आधार पर वे विवाविदत आराजितयात को कभी भी विक्रय
हस्तानान्तरित कर सकते हैं जिस पर वादी द्वारा समस्त राजस्व रिकॉर्ड की नकल प्राप्त कर
दिनांक 24.11.2014 को पुनः प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 से सम्पर्क कर विवादित आराजियात
के राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करने का निवेदन किया गया जिस पर प्रतिवादीगण सं. 1 व
2 द्वारा वादी को कोई संतोषप्रद जवाब ना दिया जाकर एलानिया धमकी दी गई कि वे
विवादित आराजियात के राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त नहीं करायेंगे ना ही खाली कर कब्जा
ही सुपुर्द करेंगे तथा हाल राजस्व रिकॉर्ड का फायदा उठाकर प्रतिवादीगण सं. 3 व 4 के
मार्फत विवादित आराजियात को अन्य दीगर व्यक्ति, संस्था को हस्तानान्तरित कर खुर्द बुर्द
कर देंगे जिस पर वादी द्वारा तत्काल ही प्रतिवादीगण सं. 3 व 4 से सम्पर्क कर
प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा विवादित आराजियात पर की जा रही अवैध गतिविधि को
रोकने तथा राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करवाने एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 को बेदखल कर
वास्तविक कब्जा वादी मंदिर को दिलवाने का निवेदन करने पर प्रतिवादीगण सं. 3 व 4
द्वारा वादी को कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया जिस कारण वादी को उक्त वाद पत्र
श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य हुआ। वादी को कानूनन हक अधिकार प्राप्त है कि
वादी वाद पत्र की मद सं. 2 में वर्णित विवादित आराजियात के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड को
दुरूस्त करवाकर उक्त विवादित आराजियात के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादीगण
सं.1 व 2 का राजस्व रिकॉर्ड से नाम हजफ करवाकर स्वयं को मालिक, स्वामी घोषित
करावें तथा विवादित आराजियात से प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 को बेदखल करवाकर उसका
वास्तविक कब्जा प्राप्त करें। वाद पत्र के मद संख्या 2 में वर्णित विवादित आराजियात के
वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जाकर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादीगण सं.
1 व 2 का नाम हजफ कर वादी मंदिर को विवादित आराजियात का खातेदार, काश्तकार
घोषित किया जावे तथा विवादित आराजियात से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का बेदखल
कर विवादित आराजियात का वास्तविक कब्जा वादी मंदिर को दिलवाया जावे।
प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस कदर पाबंध करवाने का अधिकारी
है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 विवादित आराजियात पर किसी भी प्रकार का कोई पक्का
अथवा कच्चा निर्माण नहीं करें, ना ही विवादित आराजियात पर गैर कृषि कार्य ही करें, ना
ही विवादित आराजियात को छोटे छोटे भूखण्डों में विभक्त करें, ना ही विवादित आराजियात
का विक्रय हस्तानान्तरण ही करें, ना ही विवादित आराजियात का भू उपयोग परिवर्तन
करावें तथा प्रतिवादीगण सं. 3 विवादित आराजियात के राजस्व रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार
का परिवर्तन परिवर्धन नहीं करें एवं प्रतिवादीगण सं. 4 विवादित आराजियात के संदर्भ में
किसी भी प्रकार के हस्तानान्तरण पत्र, रहन पत्र इत्यादि के अपने सम्मुख प्रस्तुत होने पर
उसे तस्दीक नहीं करें। उपरोक्त समस्त कृत्य प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 ना तो स्वयं करें,
ना ही अपने किसी एजेंट, सर्वेंट, वर्कमैन, नोमिनी इत्यादि के जरिये करें या करावें अथात्
प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 विवादित आराजियात की वर्तमान मौका व राजस्व रिकॉर्ड की
स्थिति यथावत बनायें रखें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस के जवाब में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहे। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य स्वयं वादी नृसिंहपुरी चैला फूलपुरी जी बहैसियत पुजारी/नैक्सट फ्रैण्ड मंदिर श्री परशुराम जी की ओर साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया तथा न्यायालय श्रीमान के समक्ष उपस्थित होकर वाद में प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्श मार्क करवाया गया जिसमें प्रदर्श 1 प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी बाबत् नम्बर 381, 382 संवत् 2066–69, प्रदर्श 2 प्रमाणित प्रतिलिपी मिलान क्षैत्रफल बाबत् हाल खसरा नम्बर 381ए 382 के गत खसरा नम्बर 59, प्रदर्श 3 प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी बाबत् खसरा नम्बर 381, 382 सम्वत् 2062, प्रदर्श 4 पर्चा खतोनी संवत् 2044 बाबत् खसरा नम्बर 381, 382 प्रदर्श 5 प्रमाणित प्रतिलिपी खतौनी बंदोबस्त संवत् 2007 बाबत गत खसरा नम्बर 59, प्रदर्श 6 प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी संवत् 2014 बाबत गत खसरा नम्बर 59, प्रदर्श 7

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

लगायत 11 प्रमाणित प्रतिलिपी खसरा गिरदावरी संवत् 2018 से 2034, प्रदर्श 12 प्रमाणित प्रतिलिपी नक्शा सन् 1949 बावत् खसरा नम्बर 59, प्रदर्श 13 प्रमाणित प्रतिलिपी नक्शा ट्रेश हाल खसरा नम्बर 381, 382 प्रदर्श 14 प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी बावत् हाल खसरा नम्बर 381, 382 संवत् 2070, प्रदर्श 15 से 18 मौका फोटोग्राफ, प्रदर्श 19 मौके फोटोग्राम के नेगेटिव तथा प्रदर्श 20 पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र मेरे द्वारा प्रस्तुत किये हैं तथा अन्य साक्ष्य के रूप में श्रवण कुमार शर्मा एवं राकेश कुमार शर्मा का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया है इस प्रकार वादी द्वारा उक्त प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य से पूर्णतः साबित किया है कि हाल खसरा नम्बर 381 रकबा 1.13 है0 व 382 रकबा 0.10 ग्राम उदयपुरिया हाल तहसील चौमू गत तहसील आमेर जिला जयपुर की भूमि वादी के स्वामित्व अधिकार की रही है जिसके गत खसरा नम्बर 59 थे जिसका मिला क्षेत्रफल वादी द्वारा साक्ष्य सबूत में पेश किया जाकर प्रदर्श–2 अंकित करवाया गया है। इस प्रकार हाल खसरा नम्बर 381 व 382 के गत खसरा नम्बर 59 से बने है तथा खतौनी बंदोबस्त मोजा (गांव) उदयपुरिया (गत) तहसील आमेर निजामत (जिला) जयपुर संवत् 2007 से 2023 के अनुसार खसरा नम्बर 59 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा के साथ अन्य खसरा नम्बर की भूमि में माफी मन्दिर परशुराम जी व पुजारी फुलपुरी चेला रामपुरी बतौर खुदकाश्त खातेदार के रूप में दर्ज है उक्त दस्तावेज को वादी ने साक्ष्य में प्रस्तुत कर प्रदर्श–5 अंकित करवाया है तथा गत खसरा नम्बर 59 की जमाबंदी संतवत 2014–17 में भी मंदिर वादी खुदकाश्त दर्ज है जो प्रदर्श–6 है। इसी अनुक्रम में वादी द्वारा गत खसरा नम्बर 59 की खसरा गिरदावरी संवत् 2018 से 2034 भी प्रस्तुत कर प्रदर्श–7 लगायत 11 अंकित कराये हैं जिसके कॉलम संख्या 4 भूमि अभिधारी में मंदिर वादी का नाम अंकित होकर खुदकाश्त में दर्ज है तथा खसरा नम्बर 59 का नक्श ट्रेश जो प्रदर्श–12 है। इस प्रकार खतौनी बंदोबस्त संवत् 2007–23 व गिरदावरी संवत् 2018–34 से पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि उक्त भूमि राजस्थाना काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने से पूर्व व पश्चात् वादी मंदिर के नाम दर्ज होकर बतौर खातेदार खुदकाश्त में दर्ज रही है तथा गत खसरा नम्बर 59 से हाल खसरा नम्बर 381 रकबा 1.13 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 382 रकबा 0.10 हैक्टेयर बनाये गये जिसका पर्चा खतौनी संवत् 2044 बनाया गया। उक्त पर्चा खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपी बतौर साक्ष्य सबूत वादी द्वारा साक्ष्य में प्रस्तुत की जाकर प्रदर्श 4 अंकित करवाया गया है।

वकील वादी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व लिखित बहस का बगौर अवलोकन किया गया। वकील वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि वाके ग्राम उदयपुरिया हाल तहसील चौमू गत तहसील आमेर, जिला जयपुर में हाल खाता संख्या 215 में वर्णित हाल खसरा नम्बर 381 रकबा 1.13 हैक्टेयर खसरा नम्बर 382 रकबा 0.10 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा 1.23 हैक्टेयर स्थित है जिसके गत खसरा नम्बर 59 थे। इस प्रकार उक्त विवादित आराजीयात वादी मन्दिर की कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि रही है इस बाबत सम्वत् 2007 से लेकर सम्वत् 2023 की खतौनी बदोबस्त अनुरूप वादी मन्दिर उक्त विवादित आराजीयात का अन्य आराजीयात के साथ काबिज खातेदार काश्तकार राजस्व रिकॉर्ड अनुसार है। तत्पश्चात् सम्वत् 2023 में विवादित आराजीयात की खातेदारी वादी मन्दिर के नाम दर्ज रही है एवं खसरा गिरदावरियों सम्वत् 2018, 2028, 2034, 2037 अनुरूप वादी मन्दिर ही उक्त विवादित आराजीयात राजस्व रिकॉर्ड अनुरूप खुद काश्त रहा है। इस प्रकार विवादित आराजीयात वादी मन्दिर मूर्ति की कब्जेकाश्त व स्वामित्व की आराजीयात है। जिसका कि स्वामित्व मन्दिर परशुराम जी में विराजमान शाश्वत, नाबालिंग अवस्यक मूर्ति परशुरामजी में निहित है। वादी मन्दिर की ओर से मन्दिर परशुरामजी के पूर्व पुजारी/महन्त फूलपुरी चैला रामपुरी द्वारा विवादित आराजीयात को काश्त करने हेतु बांटे पर समय समय पर भिन्न भिन्न व्यक्तियों को दी गई जिनमें से सम्वत् 2023 के पश्चात् विवादित आराजीयात को बांटे पर केवल मात्र काश्त करने हेतु प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के हकपूर्वा अधिकारी स्व. किशनाराम रैगर पुत्र शहजा को दी गई ताकि किशनाराम रैगर द्वारा विवादित आराजीयात जिसका कि स्वामी वादी

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

मन्दिर है पर काश्त कर उक्त काश्त के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली पैदावार के आधे हिस्से को वादी मन्दिर को दी जावे जिसका कि उपयोग उपभोग वादी मन्दिर परशुरामजी में विराजमान शाश्वत, नाबालिंग अवयस्क मन्दिर मूर्ति परशुरामजी सेवा पूजा, भोग इत्यादि की व्यवस्था हो सके, जबकि उक्त विवादित भूमि वादी मन्दिर के स्वामित्व व खुदकाश्त की राजस्व रिकॉर्ड अनुरूप रही है। इसी अनुरूप विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 381 रकबा 1.23, खसरा नम्बर 283 रकबा 0.10 हैक्टेयर के साथ अन्य आराजियात का पर्चा खतौनी सम्वत् 2044 का बतौर खातेदार मन्दिर के नाम जारी हुआ है। सम्वत् 2062 से 2065 के राजस्व रिकॉर्ड अनुसार वादी मन्दिर के रेफरेन्स का पेन्सिल नोट भी अंकित रहा है। कानूनन मन्दिर मूर्ति की भूमि को कभी भी किसी भी व्यक्तिगत खातेदारी में अंकित नही किया जा सकता इस प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 एवं स्व0 किशनाराम के नाम राजस्व रिकार्ड कर्मचारियों द्वारा विधि विरूद्ध होने से प्रारम्भ से ही शून्य है जिनका कोई विधिक महत्व नही है। पर्चा खतौनी संवत् 2044 (वर्ष 1987) के अनुसार अन्य भूमि के हाल खसरा नम्बर 381, 382 की भूमि भी बतौर खातेदार काश्तकार वादी के नाम जारी किया है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि संवत् 2044 (वर्ष 1987) तक वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 381 व 382 वादी के नाम बतोर खातेदार काश्तकार दर्ज रही है जिसे बिना किसी वैधानिक आदेश के खातेदारी समाप्त कर अन्य को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। जहां तक वादी मंदिर की ओर से वाद लाने का प्रश्न है तो कोई भी व्यक्ति मंदिर की ओर से बतौर नैक्स्ट फ्रैण्ड वाद प्रस्तुत कर सकता है। इसके संबंध में विधिक विनिश्चय 1995 आरआरडी पेज 668 में पूर्णतः स्पष्ट किया गया है कि वादी मंदिर की ओर से कोई भी व्यक्ति वाद पत्र प्रस्तुत करने सक्षम है उक्त विधिक विनिश्चय का अन्य वाद सत्यनारायण मंदिर बजरिये पुजारी बनाम विरेन्द्र सिंह आरआरटी 2002(1) पेज 550 में भी हवाला दिया जाकर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा स्पष्ट किया गया है कि मंदिर एक शास्वत नाबालिंग है उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति वाद लाने हेतु सक्षम है।

विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि मन्दिर मूर्ति की खुदकाश्त की भूमि किसी भी अन्य व्यक्ति को अन्तरण नही कि जा सकती तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय 1955 की धारा 5 (23) का उल्लेख किया जाना भी उचित होगा कि खुदकाश्त से राज्य के किसी भाग में किसी सम्पदाधारी द्वारा वैयक्तिक रूप से जोती जाने वाली भूमि अभिप्रेत है इस प्रकार उक्त प्रकरण में वर्णित खसरा नम्बर (गत खसरा नम्बर 59) की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व एवं पश्चात् वादी के नाम दर्ज होकर खुदकाश्त में दर्ज रही है। तथा उक्त वाद में वादी एक शाश्वत नाबालिग देव मूर्ति के द्वारा धारण की गई कृषि भूमि खुदकाश्त की कृषि भूमि है और मन्दिर श्री परशुरामजी वादी शाश्वत नाबालिग की खातेदारी भूमि होने के कारण उसका आंवटन/अन्तरण किसी भी व्यक्ति को नहीं किया जा सकता है और ना ही खातेदारी अधिकारी प्रदान किये जा सकते है। इस प्रकार किशनाराम तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में किया गये नामान्तरण की कार्यवाही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से प्रारम्भ से ही अवैध शून्य है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 381, 382 में अंकित प्रविष्टिया निरस्त की जाकर विवादित आराजी की खातेदारी पुनः माफी मंदिर के नाम पर दर्ज किया जाना न्यायोचित है। मंदिर मूर्ति भूमि के संबंध में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न परिपत्र जारी किये गये है जिसमें परिपत्र क्रमांक क्रम 3 (2)राज.–6/2007/14 दिनांक 24.05.2007 जारी करते हुए निर्देशित किया गया कि–राज्य सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 13.12.1991 की निरन्तरता से

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

स्पष्ट किया जाता है कि मंदिर मूर्ति शास्वत अवश्यस्क है अतः इसकी खातेदारी भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते है। अपेक्ष न्यायालयों के विभिन्न विधिक विनिश्चयों व कानूनी प्रावधानों के अनुसार मंदिर मूर्ति शास्वत नाबालिग होने से किसी प्रकार के अधिकारों का अन्तरण नहीं किया जा सकता है। चूंकि संवत् 2007 से 2023 के मिसल बंदोबस्त में माफी मंदिर के नाम से खातेदारी दर्ज रही है, ऐसे में उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड वाके ग्राम उदयपुरिया तहसील चौमू, जिला जयपुर में स्थित हाल खसरा नम्बर 381, 382 में दर्ज खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम हजफ कर उनके स्थान पर मंदिर मूर्ति श्री परशुराम जी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा विवादित आराजीयात से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बेदखल कर विवादित भूमि का कब्जा वादी मंदिर मूर्ति श्री परशुराम जी को सम्भलाया जावे। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजियात पर किसी भी प्रकार का कोई पक्का अथवा कच्चा निर्माण नहीं करें, ना ही विवादित आराजियात पर गैर कृषि कार्य ही करें, ना ही मंदिर मूर्ति के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित करें। उपरोक्त समस्त कृत्य प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ना तो स्वयं करें, ना ही अपने किसी एजेंट, सर्वेंट, वर्कमैन, नोमिनी इत्यादि के जरिये करें या करावें। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावाली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) चौमू

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमू (जयपुर)

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) चौमूं, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री विष्णु कुमार गोयल–I (R.A.S.)

मु0 सं0 108/2014

उनवान

मंदिर श्री परशुराम जी बाहैसियत पुजारी/नेक्स्ट फ्रेण्ड, नृसिंहपुरी जी, चेला फूलपुरी, निवासी परशुरामपुरी जी महाराज का मठ, ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—वादी

बनाम

1. प्रभाती देवी पत्नी रामेश्वर, पुत्री किशनाराम, जाति रैगर, निवासी किशनगढ़ रेनवाल, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर, हाल निवासी रैगरों का मोहल्ला, ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. मनभरी देवी पत्नी नारायण लाल, पुत्री किशनाराम, जाति रैगर, निवासी ग्राम धौली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर, हाल निवासी रोड़ नं. 5, श्यामजी के मंदिर के पास, मुरलीपुरा, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती, कब्जा प्राप्ति एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

दिनांक:— 29.01.2019

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वादी व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल–I आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड वाके ग्राम उदयपुरिया तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित हाल खसरा नम्बर 381, 382 में दर्ज खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम हजफ कर उनके स्थान पर मंदिर मूर्ति श्री परशुराम जी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा विवादित आराजीयात से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बेदखल कर विवादित भूमि का कब्जा वादी मंदिर मूर्ति श्री परशुराम जी को सम्भलाया जावे। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजियात पर किसी भी प्रकार का कोई पक्का अथवा कच्चा निर्माण नहीं करें, ना ही विवादित आराजियात पर गैर कृषि कार्य ही करें, ना ही मंदिर मूर्ति के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित करें। उपरोक्त समस्त कृत्य प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ना तो स्वयं करें, ना ही अपने किसी एजेंट, सर्वेंट, वर्कमैन, नोमिनी इत्यादि के जरिये करें या करावें। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

निजी ....×....मुबलिक ....×....... बाबत .....×..........खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह ....×.......... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ×...... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 29.01.2019 को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर चौमूँ (फास्ट ट्रेक) जिला–जयपुर

दस्तखत सहायक कलक्टर

ओहदा.....(फ़ास्ट ट्रेक)

चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	2	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	1
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	1	अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़	3	जोड़	1

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner